

15.7.19

मिसाल के लिए। अधिवक्ता वादी उपाधित वादी  
 अधिवक्ता को पर्याप्त समय देने व बार-बार कहने के  
 उपरान्त भी प्रतिवादी को सं. 1 व 2 के सामग्री लिये जाने  
 परीक्षा करने से एपे की धारा क्रि. 9 नियम 5 में  
 प्रावधान एवं मा. 4 में सामग्री लिये जाने परीक्षा करने

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज</p>	<p>नम्बर व अहकाम ज हुकम की में जारी</p>
	<p><del>पर जाद-पत्र खारी ज दिया जाता है प्रभाषकी</del>  <del>प्रसक्त सुमार होकर दफ नम्बर से वकम हो।</del> 19</p> <p><i>(Signature)</i></p>	